न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी सी. आर. मीना, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 14/2019 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002.

बैंक ऑफ महाराष्ट्र, मुख्य कार्यालय –लोक मंगल 1501, शिवाजी नगर पुणे– 411005 तथा शाखा कार्यालय–शॉप नम्बर 26, उन्नीती टॉवर, सेन्ट्रल स्पाइन, विधाधर नगर, जयपुर–302029।

प्रार्थी(प्रतिभूत लेनदार)

बनाम

1. मैसर्स स्पार मिनरल्स जरिये पार्टनर, कार्यालय पता– खसरा नम्बर 507/1, 507/2 एवं 507/3 ग्राम अजमेरी, तहसील नीमकाथाना, सीकर (राज.) ऋणी
2. दिनेश महलावत पुत्र खेम चन्द मेहलावत (पार्टनर मैसर्स स्पार मिनरल्स), निवासी ग्राम पोस्ट खींवसर, तहसील लक्ष्मणगढ़, सीकर (राज.)।
3. सुरेन्द्र मांडिया पुत्र सीताराम मांडिया (पार्टनर मैसर्स स्पार मिनरल्स), निवासी– अर्जुन विला, आनन्द नगर, फतेहपुर रोड़, सीकर (राज.)। सहऋणी/गारन्टर

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

निर्णय

निर्णय दिनांक: 13-5-, 2019

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री **विजय कुमा शर्मा** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण **मैसर्स स्पार मिनरल्स जरिये पार्टनर, दिनेश महलावत, सुरेन्द्र मांडिया** को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में **खसरा नम्बर 507/1, 507/2 एवं 507/3 ग्राम अजमेरी, तहसील नीमकाथाना सीकर (राज.) में स्थित है, जो कि मैसर्स स्पार मिनरल्स जरिये पार्टनर के नाम से है, जिसका कुल क्षैत्रफल 4533.33 वर्गगज है,** को बंधक रखकर 60,00,000/–रूपये (अक्षरे रूपये **साठ लाख**) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को **दिनांक 29.09.2018 प्रेषक दिनांक 08.10.2018** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

Scanned by CamScanner

प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थी की ओर से वकील श्री सांवर मल ने वकालतनामा पेश किया।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **दिनांक 29.09.2018 प्रेषक दिनांक 08.10.2018** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया। जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

5. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वितीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण **मैसर्स स्पार मिनरल्स जरिये पार्टनर, दिनेश महलावत, सुरेन्द्र मांडिया** की ओर से प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक **खसरा नम्बर 507/1, 507/2 एवं 507/3 ग्राम अजमेरी, तहसील नीमकाथाना सीकर (राज.) में स्थित है, जो कि मैसर्स स्पार मिनरल्स जरिये पार्टनर के नाम से है, जिसका कुल क्षैत्रफल 4533.33 वर्गगज** है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के आदेश इस शर्त पर दिये जाते हैं कि प्रकरण में किसी न्यायालय द्वारा स्थगन ना हो। उक्त आदेश की पालाना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांकः 13-5-2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सी. आर. मीना)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner